आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश
दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद
प्रथम तल, आई.ई.सी. ब्यूरों,
जय प्रकाश अस्पताल परिसर, भोपाल

क्रमांक / समन्वय / 2018 / 39 **भोपाल, दिनांक** 30/08/2018

प्रति,

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः– आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश के क्रियान्वयन के संबंध में विडियो कांफ्रेसिंग सत्र बाबत्।

उपरोक्त विषयंतार्गत लेख है कि दिनांक 25.09.2018 को सम्पूर्ण प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आयुक्त स्वास्थ्य के निर्देश अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रतिदिन विडियो कांफ्रेसिंग सत्र का आयोजन किया जा रहा है सत्र के दौरान राज्य स्तर से प्रतिदिन एक विषय विशेषज्ञ नोडल अधिकारी दल संबंधित विघा के उपचार पैकेजेस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे एवं जिला स्तर से संबंधित विषय विशेषज्ञ चिकित्सक भाग लेंगे। विडियो कांफ्रेसिंग सत्र का विस्तृत विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.09.2018 से प्रतिदिन कार्यदिवसों में संलग्न विवरण पत्र अनुसार विडियो कांफ्रेसिंग सत्र में समस्त जिलों से निम्न अधिकारी उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार भाग लेंगे :–

1/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
2/ विषय विशेषज्ञ चिकित्सक,
3/ जिला मलेरिया अधिकारी/ डी.आई.यु. के नोडल अधिकारी ।

उपरोक्त विडियो कांफ्रेसिंग में शासकीय चिकित्सा महाविघालयों , मानसिक रोग चिकित्सा महाविघालय एवं गैस राहत अस्पताल के विषय विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपस्थित रहेंगे ।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा निर्देशित)
संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(हस्ताक्षर)
(रुही खान)
अपर संचालक सह
कार्यपालन अधिकारी

पृष्ठा क्रमांक / समन्वय / 2018 / 40 **भोपाल, दिनांक** 30/08/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि शासकीय चिकित्सा महाविघालय के समस्त विशेषज्ञों को तिथि अनुसार विडियो कांफ्रेसिंग सत्र में भाग लेने हेतु जिला कलेक्ट्रेट के N.I.C विडियो कांफ्रेसिंग कक्ष से सम्मलित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संचालक, गैस राहत अस्पताल की ओर लेख है कि शासकीय गैस राहत चिकित्सालयों के समस्त विशेषज्ञों को तिथि अनुसार विडियो कांफ्रेसिंग सत्र में भाग लेने हेतु जिला कलेक्ट्रेट के N.I.C विडियो कांफ्रेसिंग कक्ष से सम्मलित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों/राज्य नोडल अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(हस्ताक्षर)
अपर संचालक सह
कार्यपालन अधिकारी